महावीर V/S माना राम

दावा 55/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में ज
12/04/18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण 17 ता 23 की ओर से राजीनामा पेश हुआ। वादी की पहचान श्री हंसराज मावलिया एड. ने तथा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 17 ता 23 की पहचान श्री बसन्त कुमार वर्मा एड. ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया जिसे सुन व समझ कर उपस्थित पक्षकारान द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। अतः ~~[illegible]~~ उभय पक्षकारान राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 2, 4 ता 13 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होकर लौटी है एवं प्रतिवादी सं. 14 ता 16 की तामील जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. करवाये एक माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः प्रतिवादी सं. 2, 4 ता 13 व 14 ता 16 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने निवेदन किया कि प्रकरण तकासमा से संबंधित है। अतः प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश प्रदान करें। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण तकासमा से संबंधित है। अतः प्रकरण में विवादित भूमियों का विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद प्रारम्भिक	

Scanned by CamScanner

...त्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

निर्णय

तहसीलदार खण्डेला तन ग्राम शाहपुरा प० हि० ठीकरिया अवस्थित कृषि भूमि ख० नं० 41, 43/2, 47, 48, 49, 50, 51 का ~~मौका निरीक्षण कर~~ विवादित पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर पृथक-पृथक लगान कायम करते हुए भिन्न खसरा नम्बर डालते हुए ~~रकबा~~ कायम करते हुए नक्शा ट्रेस में तरमीम कर विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 16-07-18 से पूर्व न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवावें। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 16-07-2018 को पेश हो।

5/7/18

[illegible] शाख
(RAS)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

Scanned by CamScanner

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)

प्रारम्भिक मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला,(सीकर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:– श्री भागीरथ शाख, RAS

उनवान
(1) महावीर वगैरह बनाम (1) माना पुत्र पेमा वगैरह

दावा बाबत घोषणा, तकासमा, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 55/2017

निर्णय दिनांक :– 12-04-2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री भागीरथ शाख, RAS व हाजिरी .... मिनजानिब मुददई रूबरू श्री हंसराज मावलिया एड० .... मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – तहसीलदार खण्डेला को ग्राम शाहपुरा प.स. ठीकरिया अपेक्षित कृषि भूमि ख०नं० 51, 53/2, 57, 58, 59, 60, 61 का विवादित पक्षकारान को सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर पृथक-पृथक लगान कायम करते हुए मिन बटान नम्बर डालते हुए खाता कायम करते हुए नक्शा ट्रेस में तरमीम कर विस्तृत [illegible] प्रस्ताव तैयार करवा कर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 16-07-18 से पूर्व आवश्यक रूप से न्यायालय को भिजवावे।

खर्चा पक्षकारान्त अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 12-04-2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सत्य प्रति होना प्रमाणित किया
सरिश्तेदार
न्यायालय सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला (सीकर)

12.04.2018
(भागीरथ शाख)
(RAS)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
खण्डेला (सीकर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
.... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	
साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner

X [illegible] स्व. मूलचन्द जाति अहीर निवासी शाहपुरा (छिछरिया) तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.) — (वादी)

बनाम

X ② बोदू पुत्र देवला
③ गणपत पुत्र नानू
④ भंवरराम ⑤ मूलाराम पुत्रगण स्व. नाना
⑥ कजमा ⑦ चटली ⑧ गंगा ⑨ सिणगारी
⑩ सुन्दर पुत्रियां स्व. नाना जाति अहीर निवासी शाहपुरा छिछरिया तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)
⑪ पटवारी हल्का छिछरिया
⑫ उप पंजीयक खण्डेला
⑬ अभिधारी तहसीलदार खण्डेला
⑭ मैनेजर सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा पलसाना
⑮ मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा पलसाना
⑯ मैनेजर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा [illegible]

— (प्रतिवादीगण)

⑰ छोटूराम ⑱ राजेन्द्र ⑲ सुरजभान ⑳ राकेश पुत्रगण स्व. मूलचन्द
㉑ सन्तोष ㉒ सुशीला पुत्रियां स्व. मूलचन्द
㉓ भानी देवी पत्नी स्व. मूलचन्द जाति अहीर निवासी शाहपुरा (छिछरिया) तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

— (तरतीबी प्रतिवादीगण)

प्रति होना प्रमाणित किया
सरिश्तेदार
न्यायालय सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला (सीकर)

प्रा. प्र. प्रस्तुत करने के क्रमांक 192 दिनांक 27/6/17
नकल प्र. प. तैयार करने की दिनांक 27/6/17
नकल प्रा. प. [illegible] की दिनांक 2/7/17
नकल शुल्क 4 00
नकल प्रा. प. [illegible] 2/4/18

नकल जारीकर्ता हस्ताक्षर

24/4/18
नामील शाखा
सहायक कलेक्टर
खण्डेला